प्रेस विज्ञप्ति

25.01.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिनांक-19.01.2024 को माननीय विशेष न्यायाधीश (एसपीई/सीबीआई)-I (पीएमएलए मामलों के लिए विशेष न्यायालय), एर्नाकुलम के समक्ष **कंडाला सेवा (सर्विस) सहकारी (को-ऑपरेटिव) बैंक के मामले में** श्री एन भासुरंगन एवं अन्य पाँच के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज किया। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), एर्नाकुलम ने दिनांक - 24.01. को 2024अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया।

ईडी ने त्रिवेंद्रम के मरानाल्लूर पुलिस स्टेशन द्वारा कंडाला सेवा सहकारी बैंक के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में बैंक के प्रबंधन में कई अनियमितताओं का पता चला । बैंक के शासी निकाय के सदस्यों का नेतृत्व इसके अध्यक्ष श्री एन. भासुरंगन ने किया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि उपरोक्त अनियमितताओं के कारण कुल 57 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि शामिल पाई गई और बैंक को इसके कुप्रबंध और अनियमितताओं के कारण बड़े पैमाने पर परिसंपत्ति हानि का सामना करना पड़ा।

इससे पहले, ईडी ने कंडाला सेवा (सर्विस) सहकारी (को-ऑपरेटिव) बैंक में हुई धोखाधड़ी के धन शोधन के मामले में चल रही जांच के संबंध में दिनांक 21.11.2023 को त्रिवेंद्रम में मरानाल्लूर के कंडाला सेवा (सर्विस) सहकारी (को-ऑपरेटिव) बैंक के पूर्व अध्यक्ष श्री एन. भासुरंगन और उनके बेटे श्री अखिलजीत जे बी को गिरफ्तार किया था।अध्यक्ष के रूप में बैंक के समग्र प्रभारी होने के कारण श्री एन. भासुरंगन ने संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में कई बार एक ही संपत्ति को गिरवी रखकर अपने और अपने रिश्तेदारों को विभिन्न अनधिकृत ऋणों को मंजूरी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तिरुवनंतपुरम में मरानाल्लूर के कंडाला सेवा (सर्विस) सहकारी (को-ऑपरेटिव) बैंक के पूर्व अध्यक्ष श्री एन. भासुरंगन और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 1.02 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया । कुर्की की गई संपत्तियों में अचल संपत्तियां, कार और सोने के आभूषण शामिल हैं, जो पीएमएलए, के तहत 2002धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के अपराध में शामिल हैं।

आगे की जांच चल रही है।